(Qty. in million tonnes)

Year	Demand	Production
1995-96	21.29	21.40
1996-97	22.12	22.72
1997-98	22.63	23.37

At present, there is no shortage of most items of steel. Supply/availability of steel to all segments of the consuming sectors has been adequate. To supplement domestic availability both in terms of quantity and quality, import of all items of steel is freely allowed as per policy. However, Indian Steel Producers have been taking continuous steps to meet the requirements of the domestic consumers which include upgradation of technology, improvement in productivity and yields, improvement in quality of products and adopting the product mix to the requirement of the consumers.

Closure of Uneconomic Units of SAIL

115. SHRI KARNENDU BHATTACHARJEE: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether the Steel Authority of India Limited has decided to hive off uneconomic units and concentrate only on core areas;

(b) whether the uneconomic units have been identified, if so, the details thereof;

(c) whether the interests of the employees in those units would be safeguarded; and

(d) what are the details in this regard?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI NAVEEN PATNAIK): (a) and (b) Preliminary work to identify uneconomic units in non-core areas has been undertaken by SAIL. However, no final decision has been taken.

(c) and (d) Interest of employees would be safeguarded.

Issuing of licences for Import of Steel Scrap

116. PROF. A. LAKSHMISAGAR: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that gross irregularities in the licences to import steel scrap worth crores of rupees by Steel Authority of India Limited (SAIL) have come to light;

(b) if so, the details thereof;

(c) the outcome of the enquiry, if any, conducted by Government in the matter; and

(d) the action taken by Government thereon?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI NAVEEN PATNAIK): (a) to (d) Reports alleging irregularities etc. regarding the sale/ transfer of Advance Import Licences by Steel Authority of India Limited (SAIL) had appeared in certain sections of the Press. The Department of Steel also received representations on the same subject. An independent enquiry to look into the sale/ transfer of Advance Import Licences by various PSUs including SAIL, under Department of Steel, was set up. The enquiry report has since been submitted. No gross irregularities were established on the part of SAIL in the enquiry. However, the enquiry report pointed out inadequate action by SAIL on some counts. Follow up action on the enquiry report has been initiated. The subject matter of the question is, at present, subjudice.

खान दुर्घटनाएं

117. **श्री नरेश यादव: क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या यह सच है कि देश में खान दुर्घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप जान माल के नुकसान में वृद्धि हुई है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं और इन दुर्घटनाओं में कितने लोग मारे गए;

(ग) मृतकों के परिवारों को कितना मुआवजा दिया गया है;

(घ) क्या अधिक संसाधन जुटा कर और बेहतर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर के इस प्रणाली को अधिक कारगार बनाने के संबंध में कोई योजना बनाई गई है; और

(ड़) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री नवीन पटनायक): (क) देश में खान दुर्घटनाओं में तेजी से वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) गत 5 वर्षों के दौरान हुई दुर्घटनाओं की संख्या तथा इन दुर्घटनाओं में मारे गए तथा गंभीर रूप से घायल

व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा निम्नवत है:-

वर्ष/खनिज	दुर्घटनाओं की संख्या		व्यक्तियों की संख्या	
	घातक	चिंता-जनक	मारे गए	गंभीर रूप से घायल
1	2	3	4	5
1994				
कोयला	156	717	241	775
धातु	57	225	80	239
तेल	4	21	6	27
सभी खनिज	217	963	327	1041
1995				
कोयला	137	757	219	813
धातु	58	250	66	260
तेल	8	18	8	19
सभी खनिज	203	1025	293	1092
1996				
कोयला	131	677	146	723
धातु	63	235	73	255
तेल	9	28	10	28
सभी खनिज	203	940	229	1006
1997				
कोयला	144	678	166	726
धातु	68	246	75	262
तेल	2	19	2	23
सभी खनिज	214	943	243	1011
1998 (31 अक्टूबर तक)				
कोयला	105	389	119	378
धातु	45	179	48	197
तेल	7	15	7	16
सभी खनिज	157	553	174	591

(ग) मृतकों के परिवारों को क्षतिपूर्ति के रूप में दी गई राशि से संबंधित सूचना का संकलन कार्य महानिदेशक खान सुरक्षा द्वारा नहीं किया जाता है।

(घ) और (ङ) खानों में कार्यरत व्यक्तियों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान, खान अधिनियम, 1952 और इसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों में निहित है। सुरक्षा संबंधी कानूनों की निरन्तर समीक्षा की जाती है और तदनुसार समय-समय पर इसमें संशोधन किया जाता है। 1990 के दौरान कोयला खान विनियमन, 1957 में व्यापक रूप से संशोधन किए गए थे। सुरक्षा उपायों में सुधार किए जाने के लिए, महानिदेशक, खान सुरक्षा द्वारा प्रबंधन को परिपत्र के जरिए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए जाते हैं। खान प्रबंधन द्वारा इन प्रावधानों का अनुपालन किया जाना उपेक्षित होता है। सुरक्षा प्रावधानों का अनुपालन किए जाने की स्थिति का जायजा लेने के लिए महानिदेशक खान सुरक्षा के अधिकारियों द्वारा खानों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है और चूक करने के मामले में खान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

संवैधानिक उपायों के अलावा, सरकार कई अन्य उपायों को प्रोत्साहन दे रही है यथा:-

(क) खानों में सुरक्षा के बारे में सम्मेलन।

(ख) प्रबंधन द्वारा स्व-विनियमन।

(ग) सुरक्षा प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी।

(घ) विभिन्न स्तरों पर त्रिपक्षीय और द्विपक्षीय समीक्षा करना।

(ङ) कामगारों को प्रशिक्षण देना।

(च) सुरक्षा सप्ताह और सुरक्षा अभियान का आयोजन।

(छ) राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार।

Measures to Improve Sail's Profitability

118. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether SAIL incurred loss in the first quarter of 1998-99;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the measures taken by SAIL to improve profitability?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI NAVEEN PATNAIK): (a) and (b) The Steel Authority of India Limited (SAIL) has incurred a loss of Rs. 311 crores in the first quarter of 1998-99.

(c) SAIL has taken number of steps to improve the performance, which inter-alia